न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री परशुराम धानका, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 23/2015 (225 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या :– 2015/00150

उनवान

1. गोविन्द } पुत्रगण राधेश्याम जाति ब्राम्हण, निवासी ग्राम जपावली, तहसील बाडी जिला
2. माधव } धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र मूला जाति ब्राम्हण निवासीयान जपावली तहसील बाडी जिला धौलपुर।
2. मंजू देवी पत्नी महेशचन्द } जाति ब्राम्हण निवासीयान ग्राम पाटीन का पुरा मजरा
3. लीलावती पत्नी मुरारीलाल } अफजलपुर तहसील बाडी।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी दिनांक 28.05.2015 उनवानी गोविन्द बनाम राधेश्याम मु0न. 07/2015

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री निशान्त भार्गव उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 30.01.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के आदेश दिनांक 28.05.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/अपीलाण्ट ने मूल वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0, इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम लकरपुर तहसील बाडी प्रार्थीगण/अपीलाण्ट एवं अप्रार्थी/रैस्पो0 संख्या 01 की पैतृक सम्पत्ति है तथा वह विवादित आराजी में 2/15 भाग का खातेदार

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

काश्तकार है। परन्तु पक्षकारान के पूर्व पुरूष मूला की मृत्यु उपरांत विवादित आराजी केवल उनके पुत्रो के नाम ही कर दी गयी, जो गलत है। उक्त गलत इन्द्राजो का लाभ लेते हुये अप्रार्थी/रैस्पो0 संख्या 01 ने विवादित आराजी के 1/5 भाग का विक्रय अप्रार्थी/रैस्पो0 संख्या 02 व 03 के हक में कर दिया। जबकि वह केवल 1/15 भाग के ही खातेदार कृषक थे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बिना सम्पूर्ण तामील व जवाब तथा बिना बहस सुने ही, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रार्थीगण ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश, विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत है, जो कि काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलाण्ट को विधिवत सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया एवं ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रियाओ की कोई पालना ही की गयी है। पत्रावली में ना तो तामील पूर्ण हुई थी तथा ना ही सभी अप्रार्थीगण/रैस्पो0 का जवाब ही प्रस्तुत हुआ। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में पक्षकारो के अभिभाषकगणो की कोई बहस भी नहीं सुनी गयी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारो की गैर मौजूदगी में अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से विवादित आराजी का पैतृक सम्पत्ति होना सिद्ध है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अपीलाण्ट के पक्ष में बखूबी साबित हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में अहम त्रुटि की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को खारिज करने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है एवं पक्षकारों की उपस्थिति में पारित किया गया है। विवादित आराजी को रैस्पो0 ने जरिये पंजीकृत वयनामा क्रय किया है एवं तभी से रैस्पो0 का उस पर कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की उपस्थिति में ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलाधीन आदेश में सायल एवं गैर सायलान के अधिवक्तागणो की उपस्थिति अंकित है। अतः अपीलाण्ट का

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

यह कथन कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का मौका नहीं मिला तर्कसंगत एवं सहज मान्य योग्य नहीं है। गुणावगुण पर हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2070–73 में अंकित विवादित आराजी पर अपीलाण्ट खातेदार कृषक नहीं है एवं ना ही उनका विवादित आराजी पर कब्जा काश्त साबित है। अतः बिना खातेदारी अधिकार एवं बिना कब्जा काश्त, अपीलाण्ट किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा पाने के हकदार नहीं होते हैं। इसके विपरीत रैस्पो0 संख्या 02 व 03 विवादित आराजी के सद्भावी क्रेतागण हैं एवं विधी अनुसार भूमि का विक्रय विलेख, पंजीकृत होने पर क्रेता का उस भूमि मे स्वतः ही स्वामित्व हो जाता है। नामान्तकरण आवश्यक नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अपीलाण्ट के पक्ष में ना होकर रैस्पो0 के पक्ष में अधिक पुष्ट होती है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश प्रत्यक्षतः तर्क संगत मालूम होता है।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी का निर्णय दिनांक 28.05.2015 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर